उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः 261 / VII-2-14 / 143-उद्योग / 2003
देहरादूनः दिनॉकः 19 मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को शासकीय क्रय में मूल्य वरीयता / क्रय वरीयता प्रदान किये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 3396 / VII-II(08) / 143-उद्योग / 2003 दिनांक 30 जून, 2009 एवं संख्या 1864 / VII-II-09 / 143-उद्योग / 2003 दिनांक 12 जनवरी, 2010 द्वारा निर्गत नीति को अतिक्रमित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर एवं खादी सहित) उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों तथा प्रदत्त सेवाओं को शासकीय उपापन (Procurement) में निविदा के समय वरीयता दिये जाने हेतु एतद्द्वारा निम्नवत सार्वजनिक उपापन नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रय वरीयता नीति, 2014

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भः

(क) इस नीति का संक्षिप्त नाम "सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रय वरीयता नीति, 2014" है।

(ख) यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. क्रय वरीयता नीतिः

(क) यह नीति उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर लागू होगी, जिन्होंने राज्य के उद्योग निदेशालय / जिला उद्योग केन्द्रों में "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम"-2006 (MSMED Act-2006) के अंतर्गत "सूक्ष्म तथा लघु उद्यम" के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग-2 (E.M. part-II) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो तथा शासकीय सामग्री क्रय कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग निदेशालय में पंजीकरण प्राप्त कर लिया हो।

(ख) यदि सार्वजनिक खरीद में राज्य सरकार या उसके विभागों / संस्थाओं / निकाय / उपक्रमों द्वारा आई0एस0आई0, आई0एस0ओ0 अथवा अन्य विशेषिकृत उत्पादों को खरीदे जाने की आवश्यकता हो तो, ऐसे उत्पादों के विशिष्टियों एवं मानकों का विवरण निविदा में ही दे दिया जाये, ताकि गुणवत्ता से समझौता किये बिना प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) से क्रय वरीयता नीति के अनुसार सामग्री का उपापन (Procurement) किया जा सके। गुणवत्ता / मानकीकरण को दृष्टिगत रखते हुए निविदा में सहभागी ऐसे उद्यमों के पास राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत प्रादेशीय / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थाओं के प्रमाण-पत्र होने आवश्यक है। राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संस्था राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 (NSIC) में अपना पंजीकरण कराकर उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, ताकि निविदा में सहभागी उद्यमों की उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का आंकलन सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 (NSIC) द्वारा राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यमों के उत्पादन व आपूर्ति क्षमता के आंकलन / पंजीकरण हेतु गठित समिति में संबंधित जनपद के महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को भी सहभागी बनाया जायेगा। योजना के प्रथम वर्ष में यदि इकाई द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 (NSIC) में पंजीकरण हेतु आवेदन कर दिया गया है, लेकिन क्षमता आंकलन नहीं हो सका है, तो

इकाई के शपथ पत्र तथा अधिकृत चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित क्षमतांकन के आधार पर क्षमता को स्वीकार किया जा सकेगा।

(ग) क्रय वरीयता नीति के अंतर्गत अधिप्राप्ति व्यवहारों एवं आदेशों का पालन करते हुए निष्पक्ष, समान पारदर्शी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बनाये रखते हुए नीति का कियान्वयन किया जायेगा।

(घ) क्रय वरीयता से तात्पर्य गुणवत्ता से समझौता किये बिना, प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यमों को प्रदेश की मध्यम व बृहत तथा प्रदेश से बाहर की सभी श्रेणियों के उद्यमों की तुलना में दी जाने वाली वरीयता से होगा, बशर्ते कि ऐसी इकाई द्वारा निविदा में दी गई दरें न्यूनतम दर (L_1) से अधिकतम 20 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत हो।

(ङ) निविदा में प्रदेश की सहभागी सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यम, जिसने L_1 + 20 प्रतिशत मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है, और उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां L_1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को L_1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे। प्रदेश की ऐसे एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के मामले में आपूर्ति को क्षमता के अनुरूप आनुपातिक रूप में (निवदा की गई मात्रा तक) बांटा जायेगा।

(च) जहां पर निविदा में प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अतिरिक्त प्रदेश के मध्यम व बृहत तथा प्रदेश से बाहर के सभी श्रेणी के उद्यम सहभागी हों और उनके द्वारा निविदा में दी गयी दर न्यूनतम (L_1) हो, वहां पर निविदा में अंकित सामग्री की कुल मात्रा की 50 प्रतिशत आपूर्ति प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों से प्रस्तर–(ङ) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार की जायेगी और अवशेष 50 प्रतिशत की आपूर्ति निविदा में न्यूनतम दर (L_1) देने वाले निविदादाता से की जायेगी।

(छ) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथासंशोधित/परिवर्धित नीति–2011) में अधिसूचित पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले सूक्ष्म व लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यम, जिसने L_1 + 30 प्रतिशत मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है, और उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां L_1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को L_1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे।

(ज) यदि पर्वतीय क्षेत्र की इकाईयां आपूर्ति हेतु पात्र पायी जाती है, तो निविदा में सहभागी प्रदेश के समस्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निश्चित की गई सामग्री आपूर्ति की मात्रा में से 50 प्रतिशत का उत्पादन पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से उत्पादन क्षमतानुसार किया जायेगा।

(झ) यदि निविदा में प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा भाग लिया जाता है, तो दरों की तुलना मूल्य वर्धित/व्यापार कर रहित एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन के आधार पर की जायेगी।

(ञ) शासकीय क्रय करते समय यदि ऐसी निविदा प्राप्त होती है, जिसमें केवल प्रदेश के बाहर की इकाईयां भाग लेती हैं, तो उसमें न्यूनतम दर देने वाली इकाई को ही स्वीकार किया जायेगा एवं दरों की तुलना व्यापार कर सहित एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन के आधार पर की जायेगी।

3. **निविदा मूल्य:** व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों को निविदादाता विभाग/संस्था/निकाय/उपक्रम द्वारा निःशुल्क निविदा प्रपत्र (Tender Form) उपलब्ध कराकर निविदा में मांगी गयी अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money)/प्रतिभूति राशि में विशेष रियायत दी जायेगी।

4. प्रदेश से बाहर की इकाईयों के लिए निविदा में निश्चित धरोहर/प्रतिभूति राशि (EMD/Security or Performance Security) की तुलना में प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों से निम्नलिखित प्रकार से धरोहर/प्रतिभूति राशि (EMD/Security or Performance Security) ली जायेगी:–

क्र0स0	विवरण	प्रदेश के बाहर की इकाईयों की तुलना में	
		निश्चित धरोहर राशि (EMD) का	निश्चित प्रतिभूति राशि (Security or Performance Security) का
1.	सूक्ष्म, कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प इकाईयां	5 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2.	लघु उद्यम इकाईयां	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत

5. राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यमों को विपणन में प्रोत्साहन दिये जाने के लिए गुणवत्ता से समझौता किये बिना निविदा में रखी गयी औसत सालाना टर्नओवर (Average Annual Turnover), विनिर्माण/सेवा का अनुभव/आपूर्ति की मात्रा, परिचालन अनुभव/प्रदर्शन प्रमाण–पत्र (Manufacturing Experience/Supplied Quantity, Operational Experience /Performance Certificate) प्रस्तुत करने की पूर्व अर्हता (Pre–qualification) में पूर्ण रूप से छूट दी जायेगी। यदि इस प्रकार की छूट दिया जाना संभव न हो, तो, उस शर्त की उपयुक्तता पर संबंधित कयकर्ता विभाग/परिषद/निकाय /निगम/संस्था द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का अभिमत प्राप्त कर, अपने शासी निकाय अथवा प्रशासनिक विभाग से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर लेगें।

6. शासकीय क्रय का तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन के अधीन समस्त शासकीय विभागों/ निगमों/विकास प्राधिकरणों/संस्थानों/निकाय आदि के द्वारा किये जाने वाले सामग्री/ सेवाओं के उपापन से होगा।

7. प्रत्येक शासकीय विभाग/संस्थान/उपक्रम/निकाय यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक वर्ष में कुल क्रय सामग्री का कम से कम 30 प्रतिशत उपापन प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों से कर लें, किंतु जहां यह खरीद वर्ष में रू0 5.00 लाख से कम की होती है, वहां पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा। शासकीय विभाग/निगम/प्राधिकरण/संस्थान/निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष में की गई कुल खरीद की मात्रा एवं धनराशि विवरण (Statement) उद्योग निदेशालय को अनिवार्य रूप से सूचित करेगें। जिन संस्थाओं/निगमों के आर्थिक चिटठे बनाये जाते हैं, वे उक्त विवरण के साथ Statutory Auditor's (C.A.) का प्रमाण पत्र भी देंगे।

8. क्रय वरीयता नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा Grievance Redressal Mechenism को सुदृढ़ करने हेतु सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम,उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक Grievance Redressal & Review Committee का गठन किया जायेगा। इस समिति में निदेशक, उद्योग कयकर्ता विभाग/उपक्रम/निकाय/संस्था के विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख दो उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।

9. सभी शासकीय विभाग/उपक्रम/निगम/निकाय/संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष उपादान की जाने वाली सामग्री/वस्तु/सेवाओं की अनुमानित आवश्यकताओं की कुल मात्रा, वस्तु/ सेवाओं की मदों का विवरण विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित कर इसकी सूचना उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड को भी उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि शासकीय

उपापन में पारदर्शिता के साथ–साथ प्रदेश के उद्यमों को शासकीय विभाग/उपक्रम/निगम/निकाय/संस्थाओं की वार्षिक खरीद की आवश्यकताओं के बारे में पूर्व से ही सभी सूचनायें प्राप्त हो सकें।

10. यदि उत्तराखण्ड में स्थित सरकारी या गैर सरकारी संस्थायें अथवा उनके द्वारा संचालित इकाइयां सूक्ष्म व लघु उद्यमों की श्रेणी में आती हैं, तो उन पर भी उपरोक्त प्राविधान लागू रहेंगे।

11. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के प्राविधानों के तहत सभी संबंधित विभाग सामग्री/सेवाओं का उपापन स्वयं विभागीय प्रतिनिधायन (Delegation of powers) के आधार पर करेंगे।

12. क्रय वरीयता निविदा द्वारा उपापन में प्रदेश में स्थापित उत्पादन एवं सेवायें प्रदान करने वाले सूक्ष्म व लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यमों को ही अनुमन्य होगी।

13. टर्न की प्रोजैक्ट्स के अंतर्गत सम्पादित की जाने वाली परियोजनाओं/कार्यों में भी आपूर्तिकर्ता फर्म/कियान्वयन संस्था के साथ यह भी शर्त अनिवार्यता रखी जायेगी कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कुल क्रय की गयी मात्रा का कम से कम 30 प्रतिशत उपापन (Procurement) प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से किया जायेगा। सभी फर्म/संस्था सम्बन्धित विभाग /निगम/निकाय/संस्थान को इस संबंध में प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायेंगे।

14. सूक्ष्म, लघु उद्योगों के लिये क्रय वरीयता नीति का पर्यावेक्षण अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। समिति मॉनटरिंग करने हेतु सॉफ्टवेयर भी विकसित करेगी।

भवदीय,

(एम0 एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या २६१ (1)/VII–2–14/143–उद्योग/2003 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
7. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रबंध निदेशक सिडकुल, देहरादून।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
10. गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।

12. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त निगमों/उपकमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करनें का कष्ट करें।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त शासनादेश को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये उसकी 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0 एस0 डुंगरियाल)
उप सचिव।